भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES   भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES   भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी क्रमांक /2016 (52)

प्रस्तुती दिनांक –

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R4439 PBR/16

ताज खान पिता हाफिज खान
आयु – 45 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार
निवासी – 476, गुलाबबाग कॉलोनी, इन्दौर

– निगरानीकर्ता

श्री चौबे चतुर्वेदी अधि. को द्वारा आज दि. 30-12-16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-12-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, जिला इन्दौर

2– तहसीलदार महोदय इन्दौर
विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय
मोती तबेला, इन्दौर

– प्रत्यर्थीगण

Chaturvedi 30/12/16

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विजय नगर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया एवं उसके तहत जारी सूचनापत्र क्रमांक 147/री–2/2016, दिनांक 07/12/2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि, संबंधित सूचनापत्र ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 325/3/2/1 एवं सर्वे क्रमांक 325/3/2/2 रकबा क्रमशः 1.452 हे. एवं 1.543 हे. स्थित भूमि के बाबद [illegible] है [illegible] भूमि के [illegible]
[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4439-पीबीआर/16 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	अनावेदक पक्ष शासन की ओर से श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो। अध्यक्ष	